भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 140
(जिसका उत्तर सोमवार, 22 जुलाई, 2024/31 आषाढ़, 1946(शक) को दिया जाना है।)

प्रत्यक्ष कर संबंधी मामलों में गौण अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करना

140 # श्री लुम्बा राम:
श्री बृजमोहन अग्रवाल:
श्री विष्णु दयाल राम:
श्री भर्तृहरि महताब:
श्री बाल्या मामा सुरेश गोपीनाथ म्हात्रे:
श्री विजय कुमार दूबे:
श्री नव चरण माझी:
श्री पी.पी. चौधरी:
श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने प्रत्यक्ष- कर संबंधी मामलों में गौण अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने के लिए कोई उपाय किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) इस संबंध में कर प्रशासन में क्या पहल की गई है;
(ग) क्या सरकार वित्त मंत्रालय के दायरे में आने वाले और अधिक कानूनों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने पर विचार कर रही है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री पंकज चौधरी)

(क): जी हां महोदय ।

(ख): आयकर अधिनियम 1961, ('अधिनियम') को संशोधित किया गया है ताकि 30 दिन के भीतर क्षेत्राधिकार निर्धारण अधिकारी को अपनी नियुक्ति का नोटिस देने के लिए परिसमापक की विफलता अथवा परिसमापनाधीन कंपनी की आस्तियों से अधिसूचित धनराशि या उसके किन्ही भागों को रद्द करने की विफलता से संबंधित धारा 276क (न्यूनतम छह माह के कारावास से दो वर्ष तक बढ़ाना) को अपराध की श्रेणी से हटाया जा सके। वित्त अधिनियम, 2023 में दिनांक 01.04.2023 से आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 276क में एक समाप्ति खंड शामिल किया गया है जो यह निर्धारित करता है कि धारा 276क के तहत दिनांक 01.04.2023 से या इसके पश्चात, कोई नई कार्यवाहियां आरंभ नहीं की जाएंगी।

इसके अतिरिक्त, सीबीडीटी ने इस अधिनियम के अभियोजन प्रावधानों के तहत शामिल किए गए विभिन्न अपराधों के संदर्भ में दिनांक 16.09.2022 को इस अधिनियम की धारा 279(2) के तहत अपराधों के प्रशमन के लिए संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

(ग) और (घ): वैधीकरण से संबंधित कर कानूनों में इस प्रकार का कोई बदलाव संसद के समक्ष रखे गए वार्षिक वित्त बिल में दर्शाया जाता है।

*****